[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 29/2024–केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 27 नवंबर, 2024

सा.का.नि.......(अ).-केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफ़ारिशों पर, धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम(1) के खंड (i) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके कारोबार का मूल स्थान मणिपुर राज्य में है, के लिए माह अक्टूबर, 2024 की **प्ररूप जीएसटीआर 3-ख** में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को नवंबर, 2024 के तीसवें दिन तक विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना 20 नवंबर, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स.सीबीआईसी-20001/9/2024-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव